

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, महाराजगंज ।

पत्रांक -...516 महाराजगंज, दिनांक-.... 05/03/21

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, महाराजगंज ।

सेवा में,

I.T. Nodal(MIS)
BRRDA, Patna.

विषय: State MIS में NABARD योजनान्तर्गत पथ का नाम जोड़ने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि State MIS पर NABARD योजनान्तर्गत पथों का नाम जोड़ना है, जिसकी विवरणी पत्र के साथ संलग्न की जाती है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


05/03/21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, महाराजगंज ।


05/03/21

DIVISION MAHARAJGANJ (NABARD)

Sl no.	Scheme	DIVISION	Assembly	Block	Sanction Year	Name of road	AA Letter no and date	Length (In km)	construction (in Lakh)	maintenance (in Lakh)	Total Cost (in Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9			13
1	NABARD	MAHARAJGANJ	DARAUNDHA	DARAUNDHA	2019-20	SIWAN JILA ANTARGAT KARYA PRAMANDAL MAHARAJGANJ KE ADHIN DARAUNDHA PRAKHAND KE PANCHAYAT HADSAR GRAM HATHOPUR GANDAK NAHAR KE PASS SE TEDHA HOTE HUWE BHUSI TOLA TAK PATH	1500/ 25.05.2020	1.700			121.17
2	NABARD	MAHARAJGANJ	MAHARAJGANJ	MAHARAJGANJ	2019-20	MANIH BARAULI PATH SE KASDEWRA BANGRA HOTE HUWE DHANUK TOLA HOTE HUWE YADAV TOLA TAK	4098/ 16.09.2019	2.100	134.695	14.257	148.952
3	NABARD	MAHARAJGANJ	GOREYAKOTHI	GOREYAKOTHI	2019-20	DUMRA YOGI BABA MORE SE MATHIYA TAK PATH NIRMAN KARYA	1760/ 04.06.2020 and 1500/ 26.05.2020	3.000	198.290	39.060	237.350

EXECUTIVE ENGINEER
RURAL WORK DEPARTMENT
WORKS DIVISION MAHARAJGANJ

(Signature)
6/3/21

(Signature)
6/3/21

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-मु0 अ0-4 (मु0)-नाबार्ड-03-311/2018

4098

/पटना, दिनांक- 16/9/19

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0स0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय: योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के सिवान जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, महाराजगंज के क्षेत्राधीन महाराजगंज प्रखंड के अधीन मांझी-बरौली पथ से कसदेवरा बंगरा होते हुए धानुक टोला होते हुए यादव टोला तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 2.100 कि0मी0 निर्माण हेतु रू0 134.695 लाख, अनुरक्षण की राशि रू0 14.257 लाख अर्थात् कुल 148.952 लाख रुपये (एक करोड़ अड़तालीस लाख पन्चानवें हजार दो सौ रू0) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के सिवान जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, महाराजगंज के क्षेत्राधीन महाराजगंज प्रखंड के अधीन मांझी-बरौली पथ से कसदेवरा बंगरा होते हुए धानुक टोला होते हुए यादव टोला तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 2.100 कि0मी0 निर्माण हेतु रू0 134.695 लाख, अनुरक्षण की राशि रू0 14.257 लाख अर्थात् कुल 148.952 लाख रुपये (एक करोड़ अड़तालीस लाख पन्चानवें हजार दो सौ रू0) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महाराजगंज इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड 37-4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 459.31 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. संबंधित कार्यपालक अभियंता, द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सिवान एवं मुख्य अभियंता-3 के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महाराजगंज यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का व्ययन मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा सचिका संख्या- मु0अ0-4 (मु0)-नाबार्ड-03-311/2018 के पृ0सं0-05/टि0 पर दिनांक 23.01.2019 को किया गया है।
9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सचिका सं0- मु0 अ0-4 (मु0) नाबार्ड -03-311/2018 के पृ0 सं0-10/टि0 पर दिनांक-05.08.2019 को प्राप्त है।
10. ब्राड के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।

1 GK

13/9/19

11. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक-31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- मु० अ०-4 (मु०) नाबार्ड-03-311/2018 के पृष्ठ संख्या-13 /टि० पर दिनांक-28.08.2019 को प्राप्त है।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
17. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही ऋण स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाय।

विश्वासभाजन

13/9/19

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक मु० अ०-4 (मु०)-नाबार्ड-03-311/2018 4098

/पटना, दिनांक-16/9/19

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/9/19

अपर सचिव

ज्ञापांक मु० अ०-4 (मु०)-नाबार्ड-03-311/2018 4098

/पटना, दिनांक-16/9/19

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, सारण/जिला पदाधिकारी, सिवान/उप विकास आयुक्त, सिवान/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पार्वर्ड ऑफिसर, BRRDA, मुख्य अभियंता-3, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु० अ०-4 (मुख्यालय), ग्रा० का० वि०/अधीक्षक अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, सिवान/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, महाराजगंज/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पाँचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। एम० आई० एस० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को स्टेट एम० आई० एस० में प्रविष्टि हेतु प्रेषित।

13/9/19

अपर सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-मु0 अ0-4 (मु0)-रा0यो0-03-69/2020 - 1500

/पटना, दिनांक- 26/5/2020

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय: योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के सिवान एवं गोपालगंज जिला में (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल तीन निर्माण योजनाओं पर योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उप शीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के सिवान एवं गोपालगंज जिला में (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 2 पथ एवं 1 पुल निर्माण योजनाओं जिसकी लम्बाई क्रमशः 3.80 कि०मी०, 29.06 मी०, एवं कुल राशि रू० 526.75 लाख (पाँच करोड़ छब्बीस लाख पंचहत्तर हजार रू० मात्र) है-हेतु योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट-1

Sl.No.	District	Block	Division	Name of Scheme	Length of Road in km	Length of Bridge in m	Total Cost i.e TA Amount in Lakh
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gopalganj	Sidhwalia	Gopalganj -2	गोपालगंज जिलान्तर्गत सिधवलीया प्रखंड में एल 041 से एल039 बखरोल कुर्मी टोला पथ में घोघरी नदी पर आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य		29.06	239.29000
2	Siwan	Daraundha	Mahrajganj	सिवान जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल महाराजगंज के अधीन दरीदा प्रखंड के पंचायत हड़सर ग्राम हाथोपुर गंडक नहर के पास से टेढ़ा होते हुए नूरी टोला तक पथ निर्माण कार्य	1.70		121.17000
3	Siwan	Bhagwanpurhatt	Mahrajganj	सिवान जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल महाराजगंज के अधीन भगवानपुर हाट प्रखंड के सिपार मंदिर से सानी बगाही रेलवे लाईन माया धानुक टोला यादव टोला तक पथ निर्माण कार्य	2.10		166.29000
Total					3.80	29.06	526.75

- इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
- योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
- इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड 37-4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

26/5/2020

5. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परियोजना-103-ग्राम विकास योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय 2020-21 में 300.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. संबंधित कार्यपालक अभियंता, द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के चौथे तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सिवान एवं मुख्य अभियंता-3 के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
7. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
9. इन योजनाओं की योजनावार स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०- मु० अ०-4 (मु०) रा०यो०-03-69/2020 के पृ० सं०-02/टि० पर दिनांक-13.05.2020 को प्राप्त है।
10. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
11. संबंधित कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्ट के अनुसार कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्यय करेंगे।
12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक-31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- मु० अ०-4 (मु०) रा०यो०-03-69/2020 के पृष्ठ संख्या-4/टि० पर दिनांक-18.5.2020 को प्राप्त है।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्रावधानों की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारीयों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनिवार्यता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकार भी उत्तरदायी माने जाएंगे।
17. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही ऋण स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाए।
18. इस योजना हेतु वित्त विभाग के संकल्प सं० 3758 दिनांक 31.05.2017 के कंडिका 10 के आलोक में राशि की विमुक्ति उदव्यय/बजट उपबंध के पश्चात ही की जा सकेगी।

विश्वासभाजन

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक मु० अ०-4 (मु०)-रा०यो०-03-69/2020 1500

/पटना, दिनांक-26/5/2020

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक मु० अ०-4 (मु०)-रा०यो०-03-69/2020 - 1500

/पटना, दिनांक-26/5/2020

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/कार्य एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, सारण/जिला पदाधिकारी, सिवान एवं गोपालगंज/उप विकास आयुक्त, सिवान एवं गोपालगंज/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पार्ड ऑफिसर, BRRDA, ग्रामीण अभियंता-3, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु० अ०-4 (मुख्यालय), ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य अंचल, सिवान/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 एवं महाराजगंज/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्प्लेक्स, पौंचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। एम० आई० एस० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को स्टेट एम० आई० एस० में प्रविष्टि हेतु प्रेषित।

अपर सचिव